सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र 36/2017
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक: लखनऊ: सितम्बर 28, 2017

**विषय:** **जाली मुद्रा के संबंध में पंजीकृत अभियोगों में हो रही कार्यवाही की प्रभावी समीक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।**

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि जाली मुद्रा के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काफी संख्या में अभियोग पंजीकृत होते हैं। इस संबंध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचनाओं में समयबद्ध कार्यवाही तथा विवेचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समीक्षा आवश्यक है। उक्त संबंध में मा0 राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी संबंधी समीति की बैठक दिनांक: 01-09-2017 को आहूत की गयी थी, जिसमें "उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेन्सी के अपराधों का अन्वेषण अधिनियम-2013" के संबंध में भी चर्चा हुई। उक्त अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही के लिए निम्न दिशा-निर्देश दिये जाते हैं :-

परिपत्र संख्या: डीजी-सात-एस-10-(14)/2014
दिनांक: 25.08.2014
पत्र संख्या: डीजी-सात-एस-10(45)2013
दिनांक: 30-04-2014
शासनादेश संख्या: 577पी/छ:-पु-3-2014-11पी/2016
दिनांक: 22-04-2014

(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) मुख्यालय, लखनऊ में एक अपराध रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसका प्रारुप क्षेत्राधिकारी कार्यालय के अपराध रजिस्टर के प्रारुप में होगा। अपराध रजिस्टर में प्रत्येक माह का मासिक गोशवारा बनाया जाये। इस रजिस्टर में अन्य इकाईयों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का परिणाम यथा दोषमुक्त व सजा आदि का इन्द्राज किया जाये। इस रजिस्टर की प्रविष्टियाँ तथा रख-रखाव के लिए एक उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी नामित किया जाये।

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद/जी0आर0पी0, अपने यहाँ पंजीकृत होने वाले समस्त अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तत्काल (24 घण्टे के अन्दर) आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) मुख्यालय, लखनऊ को भेजना सुनिश्चित करेंगे

(3) आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0), उ0प्र0, लखनऊ में बने अपराध रजिस्टर में इन अभियोगों से संबंधित सूचनाएं अंकित की जायेंगी। इन अभियोगों में कृत कार्यवाही तथा विवेचना की प्रगति आख्या महीने की प्रथम तारीख तक पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(4) पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ रिजर्व बैंक से प्रति माह यह सूचना प्राप्त कर लेंगे कि बैंकों में कितने मामले जाली मुद्रा के पाये गये हैं, जिससे जाली मुद्रा के प्रसार का सही अनुमान लगाया जा सकेगा।

(5) समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद/जी0आर0पी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि 01 जनवरी, 2016 से अब तक जाली मुद्रा के संबंध में पंजीकृत सभी अभियोगों का विवरण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाये तथा भविष्य में जाली मुद्रा से संबंधित पंजीकृत होने वाले अभियोगों का विवरण भी तत्काल अपलोड किया जाये।

मैं चाहूँगा कि उक्त निर्देशों का आप सभी स्वयं अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों से जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों/ थानाध्यक्षों को विस्तार से अवगत करा दें कि जाली मुद्रा के संबंध में पंजीकृत अभियोगों में की जाने वाली कार्यवाही में किसी तरह की शिथिलता न बरती जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

28/9/17

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद/रेलवेज,
प्रभारी जनपद/डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि**: निम्न को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।